

स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में रतलाम नगर को ओडीएफ ++ का दर्जा मिला

रतलाम 13 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत स्वच्छता हेतु विभिन्न स्तरों पर किये जाने वाले सर्वेक्षण के तहत रतलाम नगर ने ओडीएफ ++ का दर्जा प्राप्त करने पर निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों ने एक दुसरे को बधाई प्रेषित की ।

रतलाम नगर को ओडीएफ ++ का दर्जा मिलने की सूचना निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया को मिलने पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों एक दुसरे को बधाई प्रेषित की व मिठाई खिलाकर मुँह मीठा करवाया ।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने इसका श्रेय निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को देते हुए आव्हान किया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत अन्य स्तरों पर भी सर्वेक्षण किये जायेंगे इस हेतु सभी एकजुट होकर कार्य कर रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनायें ।

ज्ञातव्य है कि विगत दिनों स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम द्वारा नगर में खुले में शौच वाले संभावित क्षेत्रों, सार्वजनिक शौचालय—मुत्रालयों, सुलभ शौचालयों आदि का सर्वेक्षण किया गया था । सर्वेक्षण उपरान्त रतलाम नगर को ओडीएफ++ का दर्जा प्राप्त हुआ ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली टी.एल. बैठक

रतलाम 13 जनवरी । नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के विभाग प्रमुखों की साप्ताहिक टी.एल. बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आयोजित बैठक में निर्देशित किया कि सी0एम0 हेल्य लाईन में दर्ज शिकायतों का निराकरण करावें जिसके तहत 100 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों, एल-1 व एल-2 की शिकायतों का निराकरण शीघ्र कराया जावे साथ ही ग्रेडिंग की शिकायतों का भी शीघ्र निराकरण कराये जाने के निर्देश संबंधितों को दिये ।

इसके अलावा टी.एल. में दर्ज शिकायतों विभिन्न आयोग, पी.एम., सी.एम. कार्यालय से प्राप्त शिकायतों का समय पर निराकरण करवाये जाने के निर्देश के साथ ही निगम आयुक्त श्री झारिया ने दीनदयाल रसोई योजना प्रारंभ किये जाने की प्रगति की जानकारी बैठक में ली ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में सांसद एवं विधायक निधी के कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाये साथ ही अवैध नल कनेक्शनों को वैध कराये जाने की कार्यवाही प्रारंभ करने व संपत्तिकर नामांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा नालो की पुलिया के दोनों ओर जाली लगाये जाने के निर्देश बैठक में संबंधितों को दिये ।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती नीता जैन, प्र0 कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी0के0 जायसवाल, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, प्रभारी कर्मशाला व प्रकाश विभाग श्री एम0के0 जैन, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, प्रभारी उद्यान विभाग श्री अरविन्द दशोत्तर, लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्रा, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री हरीश मिश्रा, श्री सुनील कपूर, सिटी मैनेजर श्री कपिल मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मन्द्र दोगाया आदि उपस्थित थे ।

महारुद्र यज्ञ के समापन पर लिया शहर में स्वच्छता का संकल्प
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत नागरिक जागरूकता

कार्यक्रमों में ले रहे हैं बढ़चढ़ कर हिस्सा

रतलाम 13 जनवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के अंतर्गत निगमायुक्त सोमनाथ झारिया द्वारा लगातार शहर के सभी क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत शहर में विशेष साफ-सफाई अभियान बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इसके साथ-साथ ही कचरा मुक्त स्थानों पर आकर्षक रांगोली और दीपदान के माध्यम से सफाई मित्र समूह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

बुधवार को शहर के प्राचीन त्रिवेणी तट पर आयोजित महारुद्र यज्ञ के समापन अवसर पर भक्तों ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर सफाई मित्र समूह द्वारा तैयार की गई रांगोलियों को भी सराह गया।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों, बागीचों, खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-1 बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डालें। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान बुधवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में हमें मास्क का उपयोग, दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

स्ट्रीट वेन्डरों ने डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रशिक्षण प्राप्त किया

रतलाम 13 जनवरी । पी.एम. स्वनिधी के तहत स्ट्रीट वेन्डरों को “मैं भी डिजिटल हूँ” अभियान के तहत डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रशिक्षण बैंक मैनेजरों द्वारा दिया गया।

मैं भी डिजिटल हूँ अभियान के तहत पी.एम. स्वनिधी योजनान्तर्गत ऋण प्राप्त करने वाले 107 स्ट्रीट वेन्डरों को बैंक मैनेजरों द्वारा डिजिटल ट्रांजेक्शन का प्रशिक्षण देते हुए बताया इससे आप रूपयों का लेन-देन कर सकते हैं इसमें समय भी कम लगने के साथ सुविधाजनक होता है।

इस अवसर पर बैंक मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री अमित गुप्ता बैंक ऑफ महाराष्ट्र, श्री श्रवण कुमार मीणा पंजाब एण्ड सिंध बैंक, सिटी मैनेजर श्री नितिन तिवारी श्री कपील मारोठिया आदि उपस्थित थे।

उद्यानों से निकलने वाले कचरे से बनाई जा रही है जैविक खाद खाद निर्माण हेतु 10 उद्यानों में कम्पोस्ट पिट निर्माण का कार्य पूर्ण

10 उद्यानों में कम्पोस्ट पिट निर्माण का कार्य प्रगति पर

रत्नाम 13 जनवरी । नगर निगम स्वामित्व के उद्यानों से निकलने वाले कचरे का उचित रीति से प्रसंस्करण कराने हेतु कचरे से खाद बनाने के लिये कम्पोस्ट पिट बनाने का कार्य निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार उद्यान विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है ताकि कचरा उत्सर्जन स्थल पर ही निपटान के साथ ही उद्यानों के लिये खाद उपलब्ध होकर उद्यान हरे-भरे रहे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की पूर्व तैयारियों के तहत नगर निगम के ऐसे उद्यान जिनमें कम्पोस्ट पिट नहीं बने हैं उनमें पिट निर्माण का कार्य किया जा रहा है। कालिका माता उद्यान, रोटरी गार्डन, अमृत सागर उद्यान, काटजू नगर उद्यान, सिविल लाईन, गोपाल गोशाला, शास्त्री नगर, नगर निगम कार्यालय परिसर, गणेश चौक अलकापुरी व टीचस कालोनी में कम्पोस्ट पिट का निर्माण कराया जा चुका है तथा गुलाब चक्कर, शास्त्रीनगर बाल उद्यान, गांधी उद्यान, जैन कालोनी, मानस भवन, शांति निकेतन, कल्याण नगर, कस्तुरबा नगर व कोमल नगर, रत्नपुरी उद्यान में कम्पोस्ट पिट बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

गंदगी व अतिक्रमण करने पर 14 व्यक्तियों पर जुर्माना

सीसीटीवी से गंदगी करने वालों पर रखी जा रही है निगरानी

रत्नाम 13 जनवरी । नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते हैं ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे हैं ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्र निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गणपत सोलंकी, गंभीर सायकल सर्विस व पंजाब सायकल सर्विस नाहरपुरा पर 1000-1000, संजय कोठारी व ऋषभ इन्टरप्राईजेस नाहरपुरा पर 500-500, हातिमी किराना, सुशील व राजश गांधी मिर्ची गली पर 300-300, सरफराज एहमद अलकापुरी चौराहा पर 250, राहूल यादव महू रोड बस स्टैण्ड पर

200, सावन, किशोर, मनीष, बबलू महू रोड बस स्टैण्ड पर 50–50 रुपये का स्पॉट फाईन किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विनय चौहान आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

निगम द्वारा युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं लीकेज दुरस्त

83 दिनों में 125 वॉल्व व 574 पाईप लीकेज दुरस्ती का कार्य पूर्ण

रतलाम 13 जनवरी। शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को निरंतर बनाये रखने तथा जलप्रदाय व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ़ बनाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार पाईप लाईन व वॉल्व लीकेज दुरस्त करने का कार्य जलप्रदाय विभाग द्वारा 23 अक्टूबर से प्रारंभ किया गया जिसके तहत 13 जनवरी तक 124 वॉल्व व 570 पाईप लाईन लीकेजों को दुरस्त किया जा चुका है।

“रतलाम जलशक्ति अभियान” व्हाट्स एप ग्रुप में लीकेज की समस्या को अपलोड किया जा रहा है तथा अपलोड की गई लीकेज संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण करवाया जा रहा है जिसके तहत 13 जनवरी बुधवार को सर्वोदय नगर, सुमंगल गार्डन के बाहर, टेलीफोन नगर भण्डारीजी की दुकान के बाहर, मुखर्जी नगर, महू रोड अण्डर ब्रीज, जाटो का वास, शैरानीपुरा सोमनाथ मंदिर के पास व पटेल साहब की बावड़ी के पास पाईप लाईन लीकेज दुरस्ती के साथ ही बीमा अस्पताल के पास, जावरा रोड व मोतीनगर चौराहे पर शांति नगर टंकी भरने वाला वॉल्व दुरस्त करवाया गया।

उक्त कार्यवाही कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, जलप्रदाय विभाग प्रभारी श्री सत्यप्रकाश आचार्य, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, श्री भैयालाल चौधरी के अलावा श्री नीरज यादव, श्री मोहन आदि के निर्देशन में की गई।

स्वच्छंद विचरण करने वाले 544 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 13 जनवरी। रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 13 जनवरी तक 544 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 13 जनवरी तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 544 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 13 जनवरी को अलकापुरी से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ों का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते हैं तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एकट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान है। निगम एकट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर के विभिन्न स्थानों पर अलाव जलाये

रत्नाम 13 जनवरी । सर्द रातों में नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बाल चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, रैन बसेरा सिविक सेन्टर, पांजरा पोल, महू रोड बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, कालिका माता, नगर निगम फायर ब्रिगेड सहित नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं चौराहों पर गत रात्रि अलावा जलाये गये।

दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण पत्र हेतु दस्तावेज जमा करावें

रत्नाम 13 जनवरी । समस्त श्रेणी के दिव्यांगजन यु.डी.आई.डी. प्रमाण—पत्र बनवाने हेतु नगर निगम विकास शाखा स्थित पेंशन शाखा में आवश्यक दस्तावेज पासपोर्ट साईज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, समग्र आई.डी., निःशक्त प्रमाण—पत्र, मोबाईल नम्बर तत्काल कार्यालयीन समय में जमा करावें।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नगरिक दे रहे हैं फीडबैक

रत्नाम 13 जनवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक—पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक—पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक—पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नगरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रत्नाम 13 जनवरी । रत्नाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्स्टाल करें। इन्स्टाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाइल नम्बर रजिस्टर करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी और उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 जनवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे हैं व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात् कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल—सब्जी के छिलके, धांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात् पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, दुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्ममीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिश्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक—पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालों उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000—5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/13.01.2021/न.पा.निगम, रतलाम.